

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 1 PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2015/श्रावण 21, 1937

No. 9]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015/SRAVANA 21, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली,10 अगस्त, 2015

सं. 2014/ई एंड आर/1(3)/3.—सामान्य सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने का विनिश्चय किया है।

चक्रधरपुर मंडल का क्षेत्राधिकार मौजूदा किमी. 245.220 से बढ़ाकर किमी. 233.88 तक, खड़गपुर मंडल के राखा माईन्स स्टेशन की ओर किया जाता है। तदनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडलों के बीच की सीमा को किमी. 245.220 से राखा माईन्स स्टेशन की ओर शिफ्ट कर किमी. 233.88 तक किया जाता है।

क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त परिवर्तन 1 सितंबर, 2015 से प्रभावी होंगे।

गंगा राम अग्रवाल, सचिव

### MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2015

No. 2014/E&R/1 (3)/3.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Chakradharpur and Kharagpur Divisions of South Eastern Railway.

The jurisdiction of Chakradharpur Division has been extended from the present Km. 245.220 to Km. 233.88, towards Rakha Mines station of Kharagpur division. The boundary between Chakradharpur and Kharagpur Divisions of South Eastern Railway is accordingly shifted from Km. 245.220 to Km. 233.88 towards Rakha Mines station.

The changes in the above jurisdiction will come into effect from 1st September, 2015.

GANGA RAM AGARWAL, Secy.